



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

कार्यालय / 3891 - J-15

/2015 जिला-अशोकनगर

मथरा पुत्र श्री मुना मेहतर  
निवासी - शाडोरा तहसील शाडोरा  
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

### विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
- 2- प्रसन्न कुमार अजमेरा पुत्र श्री फूलचन्द्र जी अजमेरा
- 3- श्रीमती सुषमा अजमेरा पत्नी श्री प्रसन्न कुमार अजमेरा
- 4- राहुल अजमेरा पुत्र श्री प्रसन्न कुमार अजमेरा निवासी- माथुर साहब का बाड़ा अशोकनगर (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कि ग्राम शाडोरा तहसील शाडोरा जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 31/मिन-2 रकवा 1.000 है। आवेदक की स्वयं की निजी कृषि भूमि है। जोकि उबड़ खाबड़ पथरीली है, जिससे उसमें फसल पैदा नहीं हो पाती ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विक्रय कर वह अन्य उपजाऊ अच्छी भूमि क्रय कर अपना भरण पोषण करना चाहता है।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील ३८९१-एक/2015

जिला- अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२-१२-१५  <i>401</i>	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गयी है।</p> <p>2- उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय की आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जो आवेदन अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है उसमें यह उल्लेख किया गया है, कि अपीलार्थी के भूमि स्वामित्व की ग्राम शाढ़ीरा में स्थित भूमि सर्व क्रमांक 31/मिन-2 रकवा 1.000 है। जो अपीलार्थी की स्वंय की निजी कृषि भूमि है जोकि उबड खाबड एवं पथरीली है जिससे उसमे फसल पैदा नहीं हो पाती है। आवेदन पत्र मे यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी उक्त भूमि को विक्रय कर अन्य उपजाऊ कृषि भूमि क्रय कर अपना एवं परिवार का भरण-पोषण करना चाहता है इस हेतु प्रत्यार्थी क्रमांक 2 व 4 से भूमि विक्रय करने अनुबंध किया है। कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होने इस आधार पर भूमि विक्रय करने की अनुमति देने से इन्कार किया है कि अपीलार्थी को उक्त भूमि परिवार के भरण-पोषण हेतु दी गयी है। और यदि वह</p>	

*(M)*

उक्त भूमि विक्रय कर देता है तो वह भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेगा इस आधार पर उन्होंने भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 व 4 से भूमि विक्रय करने का अनुबंध किया गया है, जिसके आधार पर वह भूमि विक्रय कर अन्य कृषि उपयोगी भूमि क्रय कर अपना एवं परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। इस प्रकार कलेक्टर का यह निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी की और से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों की जो प्रतियों पेश की है उसमें अपीलार्थी ग्राम शाढ़ौरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 31/मिन-2 रकवा 1.000 हैं। कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थी की भूमि उसके स्वतंत्र भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है। जिसे वह विक्रय कर अन्य कृषि भूमि क्रय कर रहा है प्रस्तावित विक्रय में अपीलार्थी पर कोई दबाव नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताये गये हैं वह उचित है। दर्शीत परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा जिस आधार पर अपीलार्थी का भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया गया है वह आधार अभिलेख पर आधारित नहीं है। अतः प्रकरण में समस्त पहलुओं पर विचार के पश्चात् कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 निरस्त करते हुये अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम शाढ़ौरा सर्वे नं. 31/मिन-2 रकवा 1.000 हैं। के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है।

*for*  
उभय पक्ष सूचित हो।



सदस्य